रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042026-271562
CG-DL-E-04042026-271562

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948
No. 228] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 248(अ).—–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, विकास पक्ष उप-निदेशक (अभियांत्रिकी) और सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी) के भर्ती नियम, 2020 को, जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, विकास पक्ष, सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी), समूह 'ख' भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें।

2. पद- - संख्या , वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से(4) स्तभं में विनिदिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा अर्हताएं, आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,: या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाने व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाने व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताए।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी)	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक में स्तर-7 (44900/- रू. 142400/- रू.)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री, और (ख) निम्नलिखित में दो वर्ष का अनुभव- (i) सिविल इंजीनियरिंग कार्य जिसमें बंदरगाह इंजीनियरिंग कार्य सम्मिलित है, का डिजाइन, संर्निमाण और रखरखाव, या (ii) किसी मैकेनिकल या समुद्री कार्यशाला या संगठन में विभिन्न प्रकार की क्रेनों डीजल लोकोज, समुद्री इंजनों, विंचों

						और सहायक यंत्रों का रखरखाव और प्रचालन टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबधी अर्हताएं कारणें के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष। टिप्पणी: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा: पदधारी के प्रतिनियुक्त पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी याकिसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी,- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; और

		(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे- 1. विकास सलाहकार (पत्तन), पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय –अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव (प्रशासन), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय -सदस्य; 3. निदेशक (अभियांत्रिकी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय –सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. ए-12018/3/2016-स्थपना-भाग (1)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2026

G.S.R. 248(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Development Wing, Deputy Director (Engineering) and Assistant Director (Engineering) Recruitment Rules, 2020, in so far as they relate to the post of Assistant Director (Engineering), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Engineering) in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Development Wing, Assistant Director (Engineering), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.-The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.–No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Engineering).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
(a) Bachelor's degree in Civil Engineering or Mechanical Engineering from a recognised Univers-ity or institute; and (b) two years' experience in- (i) design, construction and maintenance of civil engineering works including harbour engine-ering works; or (ii) maintenance and operation of different types of cranes, diesel locos, marine engines, winc-hester and ancillary machines in a mechanical or marine workshop or organisation. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be

recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Development Adviser (Ports), Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Chairperson; 2. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Ports, Shipping and Waterways – Member; 3. Director (Engineering), Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/3/2016-ESTT.-Part(1)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.04.04 11:38:26 +05'30'